

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर




क्रमांक/अका./2016/184

जबलपुर, दिनांक : 22/10/2016

अधिसूचना

सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति की 91वीं बैठक दिनांक 20/06/2016 में जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा प्रस्तावित प्रचलित मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को मान्य करते हुये अन्य समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्य करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24/08/2016 के पद क्रमांक 19 में स्वीकृति उपरांत मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को अंगीकृत किया जाता है।

आदेशानुसार



कुलसचिव,


रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22/10/2016

पृ० क्रमांक/अका./2016/184 "अ"

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अधिकारीगण, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यगण।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
4. उपकुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
6. विश्वविद्यालय यंत्री, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
7. प्रभारी विधि प्रकोष्ठ, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
8. विशेष कर्तव्य अधिकारी, समन्वय समिति, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल।
9. कुलपति जी के सचिव एवं कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
10. प्रभारी कम्प्यूटर, सेंटर को इस अनुरोध के साथ कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचना को अपलोड करें।
11. विश्वविद्यालय सूचना पटल।



कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

740
01/11/2016